कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/छाप्रोप्र/ए/60171/SC-ST/2019–20 दिनांक : 03.07.2019

विस्तृत दिशानिर्देश वर्ष 2019–20

कक्षा 6 से 10 में अध्ययनरत अति पिछड़ा संवर्ग (एम.बी.सी.) के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति

1. पात्रता/शर्ते :–
   1. छात्र/छात्रा अति पिछड़ा वर्ग का ही हो। (छात्र/छात्रा का जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है) (एम.बी.सी में 1.बंजारा,बालदिया,लबाना 2.गाडिया–लोहार,गाडोलिया 3.गूजर,गुर्जर 4राईका,रैबारी(देबासी) तथा 5.गडरिया(गाडरी),गायरी जातियां शामिल है)
   2. छात्र/छात्रा राजकीय/शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में कक्षा 6 से 10 में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
   3. छात्र/छात्रा के माता–पिता या उनके संरक्षक (माता–पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक नहीं हो।
   4. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
   5. छात्र/छात्रा पिछली कक्षा में अनुर्त्तीण नही रहा हो, यदि वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृति रोक दी जावेगी। किन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी वर्ष की परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेता है तो छात्रवृति पुनः चालू कर दी जावेगी। इस हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
   6. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3(29)शिक्षा–6/2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं :–

क.सं.	वर्ग	कक्षा	दरें (10माह हेतु)
1	छात्र	6 से 8	50/– प्र.माह
2	छात्रा	6 से 8	100/– प्र.माह
3	छात्र	9 से 10	60/– प्र.माह
4	छात्रा	9 से 10	120/– प्र.माह

3. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है :–
   1. छात्र/छात्रा के माता–पिता (माता–पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
   2. छात्र/छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका (स्वप्रमाणित प्रति)।
   3. विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण–पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति)।
   4. विद्यार्थी स्वयं की बैंक पासबुक व आधार कार्ड तथा परिवार भामाशाह कार्ड की छायाप्रति(स्वप्रमाणित प्रति)।

आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथियां निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	विवरण		प्रारंभ तिथि	अंतिम तिथि
(अ)	छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने की कार्यवाही	:	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(ब)	छात्र/छात्रा द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों को संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन करने की तिथि	:	01.07.2019	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में
(स)	निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को निदेशालय प्रारंभिक शिक्षा/निदेशालय संस्कृत शिक्षा द्वारा समेकित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	:	--	माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा तय प्रवेश की अंतिम तिथि के पश्चात् 07 दिवस में

पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित विद्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। निजी विद्यालयों के आवेदन पत्र सम्बन्धित राजकीय नोडल विद्यालय के द्वारा जांच पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी,माध्यमिक मुख्यालय कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर